कार्यालय जिला कलेक्टर, करौली.

क्रमांक- राजस्व/98/ 3807

दिनांक:- 18598

:- आदेश -:

जिला करौली के अभ्यारण्यों- कैलादेवी अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य के रक्षित वन क्षेत्रों बाबत् वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 21 के अनुसरण में जिला कार्यालय द्वारा उद्घोषणाऐं क्रमशः दिनांक 14.10.97 एवं 17.10.97 को जारी की गयी थी। इस संदर्भ में वर्णित अनुसूचो में आने वाले वन क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित गांवो की भूमि की प्रास्थिति, प्रकृति एवं उनके निवासियों के अधिकारो के सम्बन्ध में दावे आमन्त्रित किये गये थे जिस बाबत् कुल 532 दावे प्राप्त हुये, जिनकी जांच नियमानुसार उप जिला कलेक्टर, करौली तथा वन अधिकारी करौली द्वारा संयुक्त रूप से की गयी। वर्तमान में स्वीकार योग्य दावें निम्न अनुसार पाये जाते है।

क्र0सं0	नाम ग्राम	प्राप्त कुल दावे	स्वीकृति योग्य दावे [आंशिक]	खारिज योग्य दावे
1-	कैलादेवी	222	208	14
2-	पांचोली	38	37	01
3-	रोधई	27	27	-
4-	मोगेपुरा	11	11	-
5-	राहिर	34	30	04
6-	महाराजपुरा	10	07	03
7-	निभेरा	116	114	02
8-	मरमदा	38	37	02
9-	कसेड	28	27	01
10-	गढी का गांव	07	07	-
	कुल	532	505	27

इस संबंध में इस कार्यालय का मत है कि उपरोक्त कार्यवाही अनुसार जो दावें स्वीकृत योग्य पाये गये है उनको धारा 24[3] के तहत जारीरखा जासकता है तब तक कि अभ्यारण्य को उनसे कोई विशेष हानि नहीं पंहुच रही हो। इसके अतिरिक्त इन गांवो में निवास करने वाले व्यक्तियों को निम्न अधिकार भी पूर्णतः दिये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

1- राजस्व भूमि पर ग्रामवासियों तथा पंचायतो को प्राप्त सार्वजनिक तथा निजी अधिकार मय वन विभाग की एन.ओ.सी. प्राप्त कर खरीदने या बेचने का अधिकार।

...2पर

2- अभयारण्य की उद्घोषणा से पूर्व में बनाये गये रास्तो के अधिकार ।

3- धार्मिक स्थलो/पानी पीने के स्थानो आदि पर पूर्व में प्राप्त अधिकार ।

4- वन विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार को भूमि की किस्म में रुपान्तरण करने के अधिकार ।

इस कार्यालय के मत में किसी भी व्यवसायिक प्रकृति के कार्य के लिए कोई भी अधिकार दिये जाने से पूर्व वन विभाग की सहमति लिया जाना उचित होगा ।

अतः उपरोक्त अनुसार अधिकारो को पूर्ववत् बनाये रखने की अनुशंसा मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर को की जाती है ।

ह0/-
जिला कलेक्टर
करौली.

दिनांकः- 18.5.98

क्रमांक- राजस्व/98/ 3808-9

प्रतिलिपिः-
1- मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज0 जयपुर ।
2- उप वन संरक्षक (बफर) बाघ परियोजना, करौली ।

जिला कलेक्टर
करौली.

कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

क्रमांक प.2(8)अभयारण्य/राजस्व/77/ 2299 दिनांक 21/8/98

-:आदेश:-

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत कैलादेवी अभयारण्य के लिए उद्घोषणा इस कार्यालय की उद्घोषणा क्रमांक 2(8) अभयारण्य/ राजस्व /77/3079 दिनांक 14.10.97 को जारी की गई थी। इस उद्घोषणा के जरिये ग्राम साकेरा, कटार डागेरा, [illegible],लालका-खेत एवं महाखो में आने वाली भूमि की प्रास्थिति,प्रकृति एवं अधिकारों के संबंध में दावे(क्लेम्स) निर्धारित प्रपत्र में मय दस्तावेज उद्घोषणा जारी होने की तिथि से दो माह के अन्दर अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी परन्तु निर्धारित अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया अतः वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 24(1) के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया जाता है :-

वन क्षेत्र में वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त के दौरान उक्त गांवों में दिये गये हक हकूक यथावत रहेंगें।

वन क्षेत्र में उक्त हक हकूक के अतिरिक्त कोई अधिकार देय नहीं है।

उपरोक्त हक हकूक के अलावा इन गांवों के राजस्व क्षेत्र में निम्न हक हकूक भी निर्धारित किये जाते हैं :-

1) राजस्व भूमि पर ग्रामवासियों तथा पंचायतों को दिनांक 14.10.97 को प्राप्त सार्वजनिक व निजी अधिकार जो कि राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं, वे यथावत रहेंगें परन्तु किसी भी प्रकार के क्रय विक्रय सम्बन्धी सूचना उप पंजीयक द्वारा वन विभाग को दी जावेगी।

2) दिनांक 14.10.97 से पूर्व में विद्यमान रास्तों के अधिकार जो राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं, यथावत रहेंगें।

3) धार्मिक स्थलों, पानी पीने के स्थलों पर दिनांक 14.10.97 से पूर्व में विद्यमान अधिकार जो राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं, यथावत रहेंगें।

4) वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार को [illegible] की किस्म में रूपान्तरण करने के अधिकार होंगें।

इन सभी अधिकारों का प्रयोग वन्य जीव सुरक्षा अधिनि[illegible] 1972 के अधीन किया जावेगा।

....2पर

क्रमांक एफ 2(8)अभयारण्य/राजस्व/77/2299 दिनांक 21/8/98

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1) शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-8) विभाग, राजस्थान, जयपुर

2) मुख्य वन संरक्षक एवं वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर को उसके पत्रांक 10460-76 दिनांक 6.8.98 के क्रम में सूचनार्थ ।

3) जिला कलेक्टर, करौली

4) क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना सवाई माधोपुर/उप वन संरक्षक करौली

5) उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

6) तहसीलदार, सवाई माधोपुर/खण्डार

7. उप पंजीयक, सवाई माधोपुर/खण्डार

8. विकास अधिकारी पं०समिति सवाई माधोपुर/खण्डार

9. सरपंच ग्राम पंचायत ....

10. नोटिस बोर्ड कलक्ट्रेट सवाई माधोपुर/ उप जिला कलेक्टर कार्यालय स०माधोपुर तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर/खण्डार/पंचायत समिति सवाई माधोपुर/खण्डार ग्राम पंचायत/पटवार कार्यालय........

11. गार्ड फाइल

प्रतिलिपि सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी स०मा० को भी सूचनार्थ प्रेषित है ।

CF to maintain a honer compilation ...

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर